आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) **Miscellaneous Case No.–03/2017** राज्य–बनाम–राजेन्द्र कुमार जैन(दोसी) एवं अन्य आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07.02.25	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह वाद अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 510/रा0 न्या0 दिनांक 19.06.2017 के द्वारा उनके न्यायालय में संधारित विविध वाद सं0 02/2016 का अभिलेख अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय मे अनुशंसा के उपरांत प्राप्त हुई एवं तदोपरांत वाद को संधारित करते हुए विभिन्न तिथियों पर सुनवाई की गई। **वाद की संक्षिप्त विवरणी** यह विविध वाद वादगत भूमि खाता सं0 36, प्लॉट सं0 376, रकवा 2.37 एकड़, मौजा–मधुबन, थाना–पीरटाड़ से संबंधित है। अचंल अधिकारी, पीरटाड़ के पत्रांक 162 दिनांक 15.05.2009 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह को अभिलेख प्रेषित कर वादगत भूमि कि जमाबंदी जो पंजी –2 के पृष्ठ संख्या 118 पर दर्ज है को निरस्त करने की अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा विविध वाद सं0 25/2012–13 राज्य बनाम राजेन्द्र कुमार जैन एवं अन्य संधारित किया गया, एवं दिनांक 03.03.2014 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के संदर्भ में अंचल अधिकारी पीरटांड ने उनके पत्रांक 197 दिनांक 08.04.2015 के द्वारा अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा विविध वाद सं0 25/2112–13 राज्य बनाम राजेन्द्र कुमार जैन एवं अन्य में दिनांक 03.03.2014 को पारित आदेश के अपील वाद के पक्ष में स्वीकार करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में विविध वाद सं0 02/2015–16 राज्य बनाम राजेन्द्र कुमार जैन (मधुबन) संधारित किया गया। तदोपरांत अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा दिनांक 15.04.2017 को आदेश पारित करते हुए कायम जमाबंदी को रद्द करते हुए आदेश की सम्पुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त के माध्यम से सरकार को भेजे जाने का निदेश दिया गया, जिस पर तत्कालीन उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त वाद में दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर उपायुक्त न्यायालय में वाद की सुनवाई हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश विधि शाखा, गिरिडीह को दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में यह विविध वाद सं0 03/2017 राज्य बनाम राजेन्द्र कुमार जैन (दोसी) एवं अन्य इस न्यायालय में संधारित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

विवेचना

वाद की सुनवाई के क्रम में प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, फर्द–सबूत/दस्तावेज, आवेदन एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकनोपरांत निम्न बिन्दु उल्लेखनीय है :–

1. भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा विविध वाद सं0 25/2012–13 राज्य सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार जैन एवं अन्य में दिनांक 03.03.2014 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:–

> ''अभिलेख से प्रतीत होता है कि राजेन्द्र कुमार जैन के नाम से चल रहे जमाबंदी को निरस्त करने हेतु किसी भी सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं है। BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973 की धारा 19 के अनुसार जमाबंदी निरस्त करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के भाग–XII में वर्णित प्रवाधान के अनुरूप ही किया जा सकता है।'' इसके साथ वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।
>
> उक्त आदेश से असहमत होकर अंचल अधिकारी, पीरटाड़ के द्वारा अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया। दायर अपील वाद स्वीकार करते हुए विविध वाद सं0 02/2015–16 राज्य बनाम राजेन्द्र कुमार जैन (मधुबन) संधारीत किया गया एवं दिनांक 15.04.2017 को आदेश पारित किया गया जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :–
>
> '' बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत मौजा मधुबन, अंचल–पीरटांड, खाता नं0 36, प्लॉट नं0 376, रकवा 2.37 एकड़ जमीन के राजेन्द्र कुमार जैन के नाम दर्ज जमाबंदी रद्द की जाती है, संपुष्टी हेतु अभिलेख आयुक्त के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।''
>
> उक्त आदेश ''The Bihar Land Reform Act, 1950'' ,राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नियमसंगत प्रतीत नहीं होता है।

2. प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा दायर दस्तावेज में माननीय उच्च न्यायालय के वाद दिनेश्वर प्रसाद बनाम राज्य (झारखण्ड) में पारित आदेश में उल्लेख है कि:–

> '' The revenue authorities have no jurisdiction to pass orders for cancellation of the settlement under the provision of Section 4(h) of the Bihar Land Reform Act, without following the prescribed procedure provision of law .

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार जैन (दोसी) के द्वारा दायर आवेदन मे निम्न बातों का उल्लेख है:–

(I) That I voluntarily relinquished all my claims as Founder Secretary of Shri Digamber Jain Sammedachal Vikash Committee along with on all its movable and immovable properties.

(II) That in view of my resignation from the post of founder Secretary/General Secretary and giving up my claim on the land measuring 2.37 acre, situated on plot no. 376, Madhuban, the case of deposit of rent by me become futile and baseless.

(III) That in this connection it is submitted that I already withdrawn my claims in the court of Principal District-Judge , Giridih in case no. 01/2022 and in the High Court of the Case No. W.P.(C) No. 5211 of 2022.

(IV) That the respective Respected Judges in both the Court have accepted my withdrawal application and have allowed withdrawal of Cases.

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचना, विद्वान सरकारी अधिवक्ता के कथन/प्रामर्श ,सम्पूर्ण अभिलेख एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के परिशीलन के उपरान्त अपर समाहर्ता गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि वादगत भूमि के संदर्भ में "The Bihar Land Reform Act, 1950, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप 4(h) के तहत नियमसंगत अग्रेतर कार्रवाई करना/अनुशंसा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति के साथ अभिलेख निम्न न्यायालय को वापस किया जाय।

इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करायी जाय।

Scanned with OKEN Scanner

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

07/02/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

07/02/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 233 न्या0 दिनांक 07/02/25

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह एवं डुमरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, पीरटाँड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

07/02/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2025.02.13 19:35:57 +05:30
Location: fd01::55d7:42e3:343f:e0e6

Scanned with OKEN Scanner